मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1601 /आर–74/2014/2/34 भोपाल, दिनांक 25 FEB 2017

आदेश

"नल से जल–आज और कल" कार्यक्रम के अंतर्गत बंद पायी गई नलजल योजनाओं को चालू करने हेतु आमंत्रित/आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं हेतु शासन के आदेश क्रमांक 764/ आर–2635/2017/2 /34 /भोपाल, दिनांक 17.02.2017 द्वारा संचालन–संधारण की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस परिपेक्ष्य में निम्न अतिरिक्त संशोधन लागू किये जाते हैं :–

1. मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर गठित निविदा प्रकोष्ठों द्वारा आमंत्रित निविदायें जिनमें संचालन–संधारण अवधि बढ़ाये जाने से निविदा लागत रूपये 40.00 लाख से अधिक हो रही है, को निरस्त न करते हुये यथावत रखा जावे। निविदा स्वीकृति हेतु कार्यवाही उक्त प्रकोष्ठ द्वारा ही की जाये।

2. संचालन–संधारण अवधि को 02 से 05 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप निविदा लागत में वृद्धि होगी। संभव है इस वृद्धि के कारण निविदा प्रपत्र के मूल्य में भी वृद्धि हो। निविदा प्रपत्र में आवश्यक संशोधनों का समावेश कर संशोधन वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि तक जिन निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र पुराने मूल्य पर क्रय कर लिया गया हो, उनसे बढ़ी हुई राशि का अंतर नहीं लिया जाये।

3. "नल से जल आज और कल" कार्यक्रम के अंतर्गत बंद पायी गयी नलजल योजनाओं को चालू करने हेतु आमंत्रित/आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में निम्नानुसार प्रावधान रखे जाये :–

   (i) Performance Guarantee (Security) / Additional Performance Guarantee (Security) के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान रखा जाये :–

   "Performance Guarantee (Security) for works shall be valid upto 3 months beyond the completion of Operation and Maintenance (O&M) period. Performance Guarantee (Security) shall be released after the completion of entire O&M period."

   "Additional Performance Guarantee (Security) shall be valid upto the valid construction/execution period plus 3 months."

(ii) Security Deposit (SD) हेतु निम्नानुसार प्रावधान रखा जावे :–

"SD deducted during execution of works shall be refunded on completion of Defect Liability Period. SD deducted during O&M period shall be refunded at the time of release of performance guarantee."

(iii) Completion period को निम्नानुसार तीन भागों में रखा जावे :–

(a) Construction/Execution of Work - 3 Months (90 days) for making all schemes functional in all respect.

(b) Trial-run and Commissioning of Scheme- minimum of 45 days.

(c) Operation and Maintenance (O&M) - 60 months after successful commissioning.

(iv) Defect Liability Period को निम्नानुसार रखा जावे :–

Trial-run plus 12 Months after successful commissioning of work/Scheme.

(v) Bill of Quantity (BOQ) में योजनावार प्रथम वर्ष हेतु आंकलित Operation and Maintenance (O&M) की राशि को चार भागों में विभाजित कर एक त्रैमास (One-Quarter=3 Months) की राशि का उल्लेख किया जावे।

(vi) संचालन–संधारण अवधि में वर्षवार दी जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाये :–

"For every next year, the first year rates for O&M as mentioned in Bill of Quantities (BOQ) of NIT will be increased/decreased according to percentage change in All India Consumer Price Index for Industrial Workers, CPI (IW), issued by the Labour Bureau, Government of India. The Index on the date of completion of trial-run period will be treated as base for calculation of percentage point increase/decrease in O&M cost of next year. O&M Payment will be made quarterly."

4. संचालन–संधारण का प्राक्कलन तैयार करने की दृष्टि से लागत में प्रत्येक वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि को समाहित किया जाये। इस हेतु संचालन–संधारण के प्रथम वर्ष के प्राक्कलित राशि को 5.6 के फैक्टर से गुणा कर 05 वर्ष की कुल संचालन–संधारण की राशि की गणना की जाये। 05 वर्ष की संचालन–संधारण की अवधि जोड़े जाने के कारण जिन योजनाओं की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही हो उन योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये। ऐसी पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र में जानकारी उचित माध्यम से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित की जाये।

5. उपरोक्त बिन्दु अनुसार गणना का उददेश्य मात्र पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता का निर्धारण करना है। ठेकेदार को द्वितीय वर्ष से वास्तविक भुगतान, प्रथम वर्ष हेतु आंकलित संचालन–संधारण की राशि में All India Consumer Price Index for Industrial Workers, CPI (IW), issued by the Labour Bureau, Government of India में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी के आधार पर किया जाए।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक 1002/आर–74/2014/2/34 भोपाल दिनांक 25 FEB 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर / ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

प्रपत्र

"नल से जल आज और कल" कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु जानकारी

जिला .....

(राशि रूपये में)

क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत लागत	निर्माण कार्य की लागत	संचालन–संधारण की लागत	संचालन–संधारण हेतु प्रथम वर्ष की लागत	05 वर्ष हेतु संचालन–संधारण की लागत*	नवीन लागत **
			(4)=(5)+(6)				(8)=5.6x(7)	(9)=(5)+(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

* संचालन–संधारण की प्रथम वर्ष की लागत में 5.6 फेक्टर से गुणा कर 05 वर्ष की संचालन--संधारण लागत आंकलित की जावे।

** यदि कॉलम (9) > [1.1 x (4)] तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग